

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 547]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2018—आश्विन 9, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2018

क्र. एफ-ए-3-20-2013-1-पांच (91).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20-क की उपधारा (2) सहपठित उपधारा (1-ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-20-2013-1-पांच (70), दिनांक 02 अगस्त, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना के पैरा 4 में अंक "60" के स्थान पर अंक "120" स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2018

क्र. एफ-ए-3-20-2013-1-पांच .—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-20-2013-1-पांच (91), दिनांक 1 अक्टूबर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 1st October 2018

No. F. A-3-20-2013-1-V-(91).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1-B) read with sub-section (2) of the Section 20-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's notification No.FA-3-20-2013-1-V(70), dated 2nd August, 2018, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in para 4 for the figure "60", the figure, "120" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.